



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-02/2015

186 /पटना, दिनांक 17/03/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
औरंगाबाद/ पटना/ बेगूसराय/ रोहतास/ कैमूर/ कटिहार/ नालन्दा/ मधुबनी/
पूर्वी चम्पारण/ पश्चिमी चम्पारण/ बक्सर/ मुंगेर एवं सीतामढ़ी।

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)।
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के
अधीन निर्बंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग,
बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित
सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं
पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम,
1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को
अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) एवं अधिसूचना संख्या-6477
दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)
पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे
जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. सम्प्रति, प्राधिकार उन सहकारी समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अधिक्रमित हैं या
जिनका निर्वाचन देय है। वैसी समितियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

4. इन सहकारी समितियों की उपविधियों में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके
आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला सहकारिता
पदाधिकारी संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी
को तुरत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित
समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से
प्राधिकार ने दिनांक 28.02.2017 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो
दिनांक 28.02.2017 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं,
मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित संबंधित सहकारी समिति प्रपत्र-एम 1 में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रपत्र-एम 1 में तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर यथास्थिति समिति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य को अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र-एम 1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्राथमिक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 01.04.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार कराये।

ii) समिति द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 06.04.2017 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हैं।

iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	01.04.2017
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	06.04.2017
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	08.04.2017
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	08.04.2017
v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	24.04.2017 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	27.04.2017

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित सहकारी समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समिति/ समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 13.04.2017 तक सूचनायें एकत्रित कर दिनांक 19.04.2017 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र-एम 3 अथवा प्रपत्र-एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित सहकारी समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाय। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जाय।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र-एम 5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप प्रपत्र-एम 6 पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा

उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-एम 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति प्राथमिक सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। दिनांक 27.04.2017 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 02.05.2017 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : सहकारी समितियों की सूची।

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 186

/पटना, दिनांक 17/03/2017

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद/ पटना/ बेगूसराय/ रोहतास/ कैमूर/ कटिहार/ नालन्दा/ मधुबनी/ पूर्वी चम्पारण/ पश्चिमी चम्पारण/ बक्सर/ मुंगेर एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

क० प० उ०

ज्ञापांक : 186

/पटना, दिनांक 17/03/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 186

पटना/ दिनांक 17/03/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

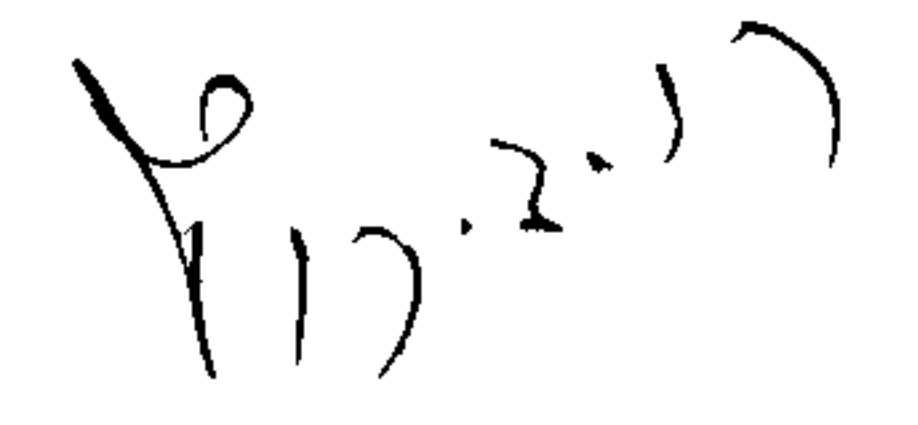


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 186

/पटना, दिनांक 17/03/2017

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3 एवं प्रशाखा-1 के सभी सहायक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कर्मा भगवान श्रमिक सहयोग समिति लि०
2	पटना	पटना	सिविल सर्विस को-ऑपरेटिव लि०, बुद्ध मार्ग, पटना
3	पटना	पटना	लोहिया सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
4	पटना	पटना	दी को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट हाउस कन्स्ट्रक्शन सो० लि०,
5	पटना	पटना	नवशक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
6	पटना	पटना	मुरली सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
7	पटना	फतुहौ	जालीम नगर ईट भट्टा औ० स० लि०
8	बेगूसराय	बेगूसराय	पोखड़िया गृह निर्माण सहयोग समिति लि०
9	बेगूसराय	बेगूसराय	हर-हर महादेव चौक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
10	बेगूसराय	बेगूसराय	लोहियानगर गृह निर्माण समिति लि०
11	बेगूसराय	बरौनी	चन्द्रलोक सहकारी गृह निर्माण समिति
12	बेगूसराय	बेगूसराय	जनता सहकारी गृह निर्माण समिति
13	बेगूसराय	बखरी	अशोक नगर पोखरिया सहकारी गृह निर्माण स० लि०
14	बेगूसराय	बेगूसराय	सरस्वती सहकारी गृह निर्माण स० लि०
15	बेगूसराय	बेगूसराय	बेगूसराय वार्ड न०-4 सहकारी गृह निर्माण स०
16	बेगूसराय	बेगूसराय	विष्णुपुर प्रगतिशील सहकारी गृह निर्माण स०
17	बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	चेरिया बरियारपुर सहकारी गृह निर्माण स० लि०
18	बेगूसराय	बखरी	बखरी सहकारी गृह निर्माण स०, बेगूसराय
19	रोहतास	राजपुर	हरिवंशपुर प्राथमिक कम्बल बुनकर सहयोग समिति
20	रोहतास	नोखा	सोतवौ प्राथमिक कम्बल बुनकर सहयोग समिति
21	रोहतास	सासाराम	धवडाढ़ श्रमिक सहयोग समिति
22	रोहतास	अकोढ़ीगोला	कटार बालू खनन विशेष श्रमिक सहयोग समिति लि०
23	रोहतास	डिहरी	बारह पत्थर कुकुट पालन सहयोग समिति लि०
24	रोहतास	डिहरी	सुजानपुर सुअर पालन सहयोग समिति लि०
25	कैमुर	कुदरा	जहानाबाद कुदरा प्रखंड कम्बल बुनकर सहयोग समिति लि०
26	कटिहार	कटिहार	नया टोला सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समिति लि०
27	कटिहार	कटिहार	शरीफगंज सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समिति लि०
28	कटिहार	कटिहार	बड़ा बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समिति लि०
29	कटिहार	कटिहार	दुर्गापुर गौशाला श्रमिक स० स० लि०
30	नालंदा	बिहारशरीफ	बिहारशरीफ फल-सब्जी उत्पादन सहयोग समिति लि०, भैसासुर
31	मधुबनी	राजनगर	महाराजगंज प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
32	मधुबनी	रहिका	खेदरू पोखर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०
33	मधुबनी	राजनगर	भगवानपुर ग्रामोदय स० स० लि०
34	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	अहिरौलिया ग्राम उद्योग सहयोग समिति लि०
35	पश्चिमी चम्पारण	नौतन	जगदीशपुर फल-सब्जी सहयोग समिति लि०
36	पश्चिमी चम्पारण	मंझौलिया	भोगाड़ी संभुक्त कृषि सहयोग समिति लि०, मंझौलिया
37	पश्चिमी चम्पारण	बैरिया	बरगजवा टोला (रनहाँ) संयुक्त कृषि सहयोग समिति लि०
38	पश्चिमी चम्पारण	मंझौलिया	गोरा सेमरा संयुक्त कृषि सहयोग समिति लि०
39	बक्सर	डुमराँव	ऊन प्राथमिक बुनकर, स० स० लि०, डुमराँव
40	मुंगेर	सदर मुंगेर	मुंगेर इम्पीरीयल टोबैको इम्पलाईज मल्टी परपस को ऑपरेटिव सोसाइटी लि०
41	सीतामढ़ी	डुमरा	डुमरा चर्म उद्योग अद्यौगिक स० स० लि०
42	सीतामढ़ी	डुमरा	कैलाशपुरी वार्ड सं० 1, 2 एवं 3 महिला विकास स० स० लि०
43	सीतामढ़ी	डुमरा	आदर्श महिला विकास स० स० लि०, आनंदनगर
44	सीतामढ़ी	डुमरा	आर० बी० एस० सहकारी गृह निर्माण स० लि०